



भारत में वदिशी वशिववदियालय की शाखा स्थापति करने हेतु UGC वनियिम

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में [वशिववदियालय अनुदान आयोग](#) (UGC) ने दुनया के शीर्ष 500 में शामिल वदिशी वशिववदियालयों के लयि भारत में शाखा स्थापति करने हेतु वनियिम जारी कयि हैं।

- UGC का यह कदम [राष्ट्रीय शकषिा नीति 2020](#) के अनुरूप है, यह भारत में शीर्ष वैश्वकि वशिववदियालयों के लयि एक वधायी ढाँचा परकिल्पति करता है।
- ये वशिानरिदेश UGC द्वारा वदिशी वशिववदियालयों के लयि घोषति मसौदा मानदंडों को फीडबैक के लयि सार्वजनकि कयि जाने के बाद अधसूचति कयि गए हैं।

इन वनियिमों के मुख्‍य पहलू क्‍या हैं?

- **सहयोगात्‍मक पहल:**
 - दो अथवा दो से अधिक वदिशी वशिववदियालय भारत में परसिर स्थापति करने के लयि **सहयोग** कर सकते हैं।
 - प्रत्येक भाग लेने वाले संस्थान को व्‍यक्तगित पात्रता मानदंडों को पूरण करना होगा।
 - प्रत्येक वदिशी वशिववदियालय के पास देश में **एक से अधिक** परसिर स्थापति करने का अवसर है।
- **संकाय सहभागति आवश्यकताएँ:**
 - भारतीय परसिरों के लयि नयुक्त अंतरराष्ट्रीय संकाय को **कम से कम एक सेमेस्टर** के लयि देश में कार्य करने के लयि प्रतबिद्ध रहना होगा।
 - यह शकषिा के माहौल में नरितर एवं सार्थक योगदान सुनशिचति करता है।
- **संशोधति आवेदन प्रकरया:**
 - स्थायी समति के लयि आवेदनों पर कार्रवाई करने का समय **45 से बढ़ाकर 60 दिन** कर दया गया है।
 - समति की सफारशियों को परशिोधति 60-दविसीय समय सीमा के भीतर UGC के समक्ष प्रस्तुत कयि जाना चाहयि।
- **वदिशी वशिववदियालयों की स्वायत्तता:**
 - वदिशी वशिववदियालयों को अपनी प्रवेश प्रकरया नरिधारति करने, शुल्क संरचना तय करने तथा वदिशों में स्थति अपने मूल परसिरों में धन वापस भेजने की अनुमति भी प्राप्‍त है।
- **परचालन पर प्रतबिध:**
 - वदिशी वशिववदियालयों को आयोग की पूरव मंजूरी के बनिा **शकषिण केंद्र**, अधययन केंद्र अथवा प्रतनिधि कार्यालय के रूप में कार्य करने वाली फ्रेंचाइज़ी स्थापति करने से **प्रतबिधति** कयिा गया है।
 - उनके भारतीय परसिरों में कोई भी नया कार्यक्रम शुरू करने से पूरव आयोग का अनुमोदन अनविर्य है।
- **ऑनलाइन लर्नगि की बाधाएँ:**
 - इन वनियिमों के तहत पाठ्यक्रम **ऑनलाइन अथवा मुक्त एवं दूरस्थ शकषिा** मोड के रूप में प्रस्तुत नहीं कयि जा सकते हैं।
 - ऑनलाइन मोड में व्‍याख्यान की अनुमति है, लेकनि उन्हें **संबद्ध पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के 10% से अधिक नहीं** होना चाहयि।
- **वत्तितीय संबंधी सम्भावनाएँ:**
 - वदिशी वशिववदियालयों को एक बार के आवेदन शुल्क के अतरिकित **UGC को वार्षकि शुल्क का भुगतान करने से भी छूट प्रदान** की गई है।
 - भारत में परसिरों की स्थापना के लयि **वदिशी वशिववदियालयों को अपने स्वामतिव वाले बुनयादी ढाँचे, भूमति तथा संसाधनों का उपयोग** करके उनका वत्तिपोषण करना चाहयि।
- **छात्रवृत्ति एवं शुल्क रयायतें:**
 - वदिशी वशिववदियालयों को भारतीय छात्रों को **पूरण अथवा आंशकि योग्यता-आधारति तथा आवश्यकता-आधारति छात्रवृत्ति एवं शुल्क रयायतें** प्रदान करने के लयि प्रोत्साहति कयिा गया है।

वशिववदियालय अनुदान आयोग (UGC):

- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और साथ ही वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा [वशिवदियालय शक्ति](#) में शक्तिषण, परीक्षा एवं अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव के लिये एक वैधानिक निकाय बन गया।
 - यह फरज़ी वशिवदियालयों, स्वायत्त महावदियालयों, डीमड वशिवदियालय (उच्च शक्तिषण संस्थान, जो वशिवदियालय नहीं हैं लेकिन अकसर शक्तिषण की उनकी उच्च गुणवत्ता को मान्यता दी जाती है) और दूरस्थ शक्तिषण संस्थानों की मान्यता को भी नयित्तरति करता है।
- UGC का मुख्यालय नई दलिली में स्थति है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारतीय संवधान के नमिनलखिति में से कौन-से प्रावधान शक्तिषण पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्ज की नीतिके नदिशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठ अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)